प्रेस नोट दिनांक : 09.09.2026

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी वसूली वारंट के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस द्वारा तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान सुरेश कुमार पुत्र स्व0 रामलाल, निवासी ग्राम उमरी, पोस्ट किशुनगंज, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष को उसके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट द्वारा निर्गत वसूली वारंट दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0 491/2025, धारा 147 बीएनएस में जारी था, जिसमें अभियुक्त द्वारा ₹59,500/- की वसूली धनराशि जमा किया जाना था। अभियुक्त द्वारा उक्त धनराशि जमा करने में असमर्थता व्यक्त करने पर न्यायालय से जारी वसूली वारंट के अनुपालन में उसे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को वारंट एवं कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया।

अभियुक्त का विवरण-
1- सुरेश कुमार पुत्र स्व0 रामलाल, निवासी ग्राम उमरी, पोस्ट किशुनगंज, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह का0 अन्नद गौड़, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी एवं एसडीएम कुण्डा द्वारा थाना महेशगंज पुलिस के साथ पटाखा फैक्ट्री की सघन चेकिंग के दौरान अवैध पटाखों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

अभियुक्त के कब्जे से भारी मात्रा में अर्द्धनिर्मित पटाखे एवं पटाखा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री/उपकरण बरामद।

पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र, प्रयागराज के आदेशानुसार कौशाम्बी पटाखा प्रकरण के दृष्टिगत जनपद में विगत 20 वर्षों के लाइसेंसधारकों, चाहे उनके लाइसेंस वर्तमान में निरस्त हो चुके हों अथवा वैध/मौजूद हों, के प्रतिष्ठानों/परिसरों की सघन चेकिंग किए जाने के निर्देश दिए गए थे।

उक्त निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर एवं जिलाधिकारी प्रतापगढ़ श्री अभिषेक पाण्डेय के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी एवं एसडीएम कुण्डा

द्वारा थाना महेशगंज पुलिस के साथ पटाखा फैक्ट्रियों/दुकानों की सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में थाना महेशगंज क्षेत्र के ग्राम माघी चैनगढ़ स्थित पूर्व में लाइसेंस प्राप्त पटाखा फैक्ट्री, जिसका लाइसेंस नवीनीकरण न होने के कारण वर्तमान में वैध नहीं था, में चेकिंग के दौरान अवैध रूप से पटाखे रखे/निर्मित किए जाने पर अभियुक्त मो0 हमजा पुत्र खलील अहमद निवासी माघी चैनगढ़, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी-
अभियुक्त के कब्जे से फन्टा पटाखा 05 पीस, कुरकरी 01 पीस, पार्टी पेपर पटाखा 07 पीस, मिर्ची पटाखा 2650 पीस, तराजू 01 अदद, लोहे की चलनी 01 अदद तथा छोटे-बड़े तसले 05 पीस बरामद किए गए। बरामद माल को नियमानुसार निष्प्रयोज्य कराया गया।

पंजीकृत अभियोग-
बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना महेशगंज पर मु0अ0सं0 227/2026 धारा 125 बीएनएस एवं धारा 5/9(ख) 1(क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1-मो0 हमजा पुत्र खलील अहमद, निवासी माघी चैनगढ़, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
वरिष्ठ उ0नि0 श्री नीरज सिंह कुशवाहा, मय हमराह हे0का0 सत्यपाल सिंह, का0 सुनील कुमार, का0 अनिल राजपूत एवं रि0का0 सूरज कुमार, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।